

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या: 2945/नौ-4-14-35ज/2010
लखनऊ दिनांक: 15 जनवरी, 2015

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश के नागर निकायों में कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-504/नौ-4-14-35ज/2010, दिनांक 26.04.2014 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या-2 में त्रुटिवश चिकित्सा विभाग की अधिसूचना संख्या-2775/5-6-11-1082/1987, दिनांक 20.09.11 टंकित हो गया है, जबकि उक्त अधिसूचना संख्या-2275/5-6-11-1082/1987, दिनांक 20.09.11 होना चाहिए था। अतः उक्त शासनादेश दिनांक 26.04.2014 के प्रस्तर-2 में अंकित शासनादेश संख्या-2775/5-6-11-1082/1987, दिनांक 20.09.11 के स्थान पर शासनादेश संख्या-2275/5-6-11-1082/1987, दिनांक 20.09.11 पढ़ा जाय।

2. शासनादेश संख्या-504/नौ-4-14-35ज/2010, दिनांक 26.04.2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-2945 (1)/नौ-4-14-35ज/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. नगर विकास अनुभाग-1/3/6/7
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।